INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP00113593769780V

e-Stamp

₹100

Certificate No.	:	IN-UP00113593769780V
Certificate Issued Date	:	29-Aug-2023 10:22 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14382504/ JAUNPUR SADAR/ UP-JNP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1438250495805192955412V
Purchased by	:	PRABANDHAK NEELKANTH COLLEGE REHATI JAUNPUR
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	PRABANDHAK NEELKANTH COLLEGE REHATI JAUNPUR
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	PRABANDHAK NEELKANTH COLLEGE REHATI JAUNPUR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

909
30-8-23

NOTARIAL NOTARIAL CANCELLED.

Signature..........
ACC Name-Anil Kumar Ojha-0314193
ACC Address-Ishmailia Sadar Jaunpur
Mobile-No.-9003148257 Licened No.-124
Tehsil & District Sadar Jaunpur

Please write or type below this line

<u>समक्ष</u>

सचिव,

प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

<u>(प्रारूप-"अ")</u>

हम राजेन्द्र प्रताप सिंह एवं सुनीत कुमार सिंह क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव स्व० ठा० रामकृपाल सिंह स्मृति शिक्षक एवं समाज कल्याण ट्रस्ट, उमरपुर, हरिबंधनपुर शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं -

NOTARY नोटरी ★ ... am Singh Advocate Distt. H. Quarter Jaunpur R.No. 27/15/90 GOVT. OF UTTAR PRADESH

30-8-23

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा नीलकंठ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रेहटी, त्रिलोचन, जौनपुर - 222136 नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र - 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है ।

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम रेहटी, त्रिलोचन, जौनपुर में गाटा सं० 1287, 1291, 1292, 1293, 1294, 1298, 1299, 1300, 1242 एवं 1243घ रकबा क्रमशः 0.930777 हेक्टेयर (2.30 एकड़) भूमि है ।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है ।

4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सं० 1287, 1291, 1292, 1293, 1294, 1298, 1299, 1300, 1242 एवं 1243घ रकबा क्रमशः 0.930777 हेक्टेयर (2.30 एकड़) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक: 16/01/2020 द्वारा पारित किया गया है ।

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है ।

6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा ।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा ।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा ।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा ।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा । यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा । इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है । यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी । ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा ।

ह० सचिव

ह० अध्यक्ष